राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांक :– एफ 61(38)SSAAT/उपापन/2019–20/ 2162 जयपुर, दिनांक 22/12/2020

311

कार्यालय आदेश (आदेश सं. 13 /2020)

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में कार्यालय उपभोग हेतु भंडार सामग्री/सेवायें उपापन करने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (RTPP Act, 2012) एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (RTPP Rules, 2013) के नियम 3 के अनुसार पूर्व में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ61(39)SSAAT/मेन विथ मशीन/2019–20/2472 दिनांक 11.03.2020, एफ61(38)SSAAT/वाहन किराया/2019–20/7592 दिनांक 18.05.2020, एफ(79)SSAAT/Gem Portal/2019–20/7735 दिनांक 15.06.2020 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 9013–22 दिनांक 15.07.2020 द्वारा गठित उपापन समिति में संशोधन कर निम्न अधिकारियों की एक उपापन समिति का गठन किया जाता हैः–

1. कार्यालयध्यक्ष
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी
3. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (वरिष्ठतम)

आई.टी. सम्बन्धी उपापन में प्रोग्रामर तकनीकी सदस्य के बतौर उपापन समिति के अतिरिक्त सदस्य रहेंगे।

उक्त उपापन समिति राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (RTPP Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013(RTPP Rules, 2013) तथा भारत सरकार, राजस्थान सरकार के सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में प्रचलित नियमों, प्रावधानों के प्रकाश में उपापन संबंधी समस्त कार्यवाही करेगी तथा उपापन संस्था (Procuring Entity) कार्यालयध्यक्ष हैं जो इस उपापन समिति के माध्यम में सोसायटी (SSAAT) में प्रचिलत आदेशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित नियमों के प्रावधानों की पालना कराते हुए उपापन कार्यवाही सम्पादित करायेंगे।

उपरोक्त समिति में सम्मिलित अधिकारीगण अवकाश/राजकार्य/अन्य कारण से बाहर होने पर अनुपलब्ध हो तो लिंक अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I की अनुपस्थिति में सहायक लेखाधिकारी–II (वरिष्ठतम) एवं प्रोग्रामर की अनुपस्थिति में सूचना सहायक उपापन समिति में भाग लेगें।

भवदीय

Sd/-

(रामावतार शर्मा)

निदेशक,

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)

क्रमांक :– एफ 61(38) SSAAT/वाहन किराया/2019–20 2162-71 जयपुर, दिनांक 22/12/2020

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष शासी निकाय (SSAAT)।
2. निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, (SSAAT)।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग एवं सदस्य सचिव, शासी निकाय (SSAAT)।
4. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT।
5. कार्यालयध्यक्ष।
6. लेखाधिकारी/AAO-I/ AAO-II समस्त, SSAAT।
7. आहरण वितरण अधिकारी SSAAT।
8. प्रोग्रामर/सूचना सहायक/अन्य समस्त कर्मचारीगण SSAAT।
9. रक्षित पत्रावली।

(रक्षपाल सिंह)

लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष